न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 221/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
किशोर कुमार उर्फ हरीश कुमार पुत्र गिरधारी लाल निवासी सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली		1– गिरधारीलाल पुत्र देवाराम निवासी उन्दरी तहसील सुमेरपुर जिला पाली 2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–5–2021 जो वसीयत मुकदमा संख्या 21/2019 मे तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री भरत श्रीमाली, गोविन्द सुथार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री रोशनलाल अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 14–07–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत अपील के अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 11–11–2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता देवाराम पुत्र वरदाजी लोहार निवासी उंदरी तहसील सुमेरपुर के नाम से खातेदारी कृषि भूमि कस्बा सुमेरपुर मे स्थित है जिसके खसरा नंबरान 217/674, 217/674/713, 217/674/714, 217/674/715, 151, 152 कुल रकबा 5.4 हेक्टेयर कृषि भूमि व खसरा नंबर 148, 149, 150, 152 कुल रकबा 4.74 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है, जिस कृषि भूमि के संबंध मे प्रार्थी के पिता देवाराम ने दिनांक 31–3–2018 को एक वसीयतनामा मुझ प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित किया, जो वसीयतनामा उप पंजीयक कार्यालय सुमेरपुर से पंजीबद्ध करवाया गया जिसके आधार पर उक्त वर्णित खसरान की कृषि भूमि का नामांतरकरण दायर करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया । उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा दिनांक 5–12–2019 को प्रस्तुत वसीयत के संबंध मे किसी शख्स को कोई उज्र एतराज हो तो न्यायालय मे पेश करने हेंतु एक विज्ञिप्ति जारी करने पर वर्तमान अपील के अपीलांट को इसकी जानकारी होने पर अपीलांट की ओर से तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष दिनांक 27–12–2019 को आपत्ति प्रस्तुत करते हुए अपीलांट ने यह अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा वर्णित खसरा नंबरान की भूमि मे से कुछ हिस्सा स्व0 देवारामजी द्वारा अपनी स्वअर्जित उपरोक्त भूमि मे से उत्तर दिशा का आधा भाग अथार्त 14.5 बीघा मुझ प्रार्थी के पुत्र तनिष्क उम्र 14 वर्ष (देवाराम का पडपोत्र) तथा दक्षिण दिशा की तरफ का आधा भाग अथार्तत 14.5 बीघा मेरे भाई योगेश के पुत्र विरेन उम्र 10 वर्ष (देवाराम का पडपोत्र) को दिनांक 18–6–2018 को वसीयत की गई थी तथा उक्त वसीयतनामा दिनांक 18–6–2018 को उप पंजीयन कार्यालय सुमेरपुर पर पंजीबद्ध किया गया तथा उपरोक्त

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

भूमि बाबत ही देवारामजी द्वारा एक अन्य अंतिम वसीयतनामा दिनांक 22–11–2018 को निष्पादित कर नोटेरी सुमेरपुर से तस्दीक करवाया हुआ है । उपरोक्त वसीयतनामा बाबत पूर्व मे आपत्तिकर्ता को जानकारी नही थी । दिनांक 25–12–2019 को आपत्तिकर्ता द्वारा देवारामजी के सामान की साफ सफाइ की जा रही थीं तब उपरोक्त वसीयतनामा दिनांक 22–11–2018 मिली । अतः इससे पूर्व की वसीयत के आधार पर प्रार्थी अपने नाम से नामांतरकरण करवाने का अधिकारी नही है तथा अंतिम वसीयत दिनाक 22–11–2018 के आधार पर तनिष्क एवं विरेन के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का निवेदन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर ने उपरोक्त घटनाकम के कम मे दोनो पक्षकारो को सुना जाकर उनके जवाब रेकर्ड पर लिये जाने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–5–2021 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वसीयत पत्र दिनांक 31–3–2018 के अनुसार नियमानुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के आदेश पारित किये गये । जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तो की अनदेखी करते हुए पारित किया है तथा कथन किया कि वसीयतनामा कोनसा सही है व कौनसा गलत है, इस जटिल प्रश्न का निस्तारण केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 यदि वसीयत के आधार पर स्व0 खातेदार देवारामजी की कृषि भूमि प्राप्त करना चाहते है तो उन्हे राजस्व न्यायालय मे घोषणा का वाद लाना चाहिये, उक्त कार्यवाही उनके द्वारा सम्पन्न नही कर केवल नामांतरकरण की कार्यवाही के जरिये अपीलाधीन भूमि प्राप्त करना चाहते है जबकि नामांतरकरण की कार्यवाही एक समरी ट्रायल है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय वेधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11–9–2020 को अंपजीकृत वसीयत के गवाह मुकेश कुमार के बयान लेखबद्ध किये तथा अन्य गवाह महेन्द्र सिह व वसीयतगृहिता को नोटिस जारी किये गये । परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी कार्यवाही मे यह कही अंकित नही किया कि वसीयत के दुसरे गवाह महेन्द्र सिह के नोटिस तामिल हुए या नही और बिना उसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 7–5–2021 को अंतिम निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अंतिम वसीयत ही प्रभावी होती है ऐसे मे दिनांक 18–6–2018 को स्व0 देवारामजी द्वारा एक वसीयत अपने पडपोत्र तनिष्क एवं विरेन के पक्ष मे निष्पादित व पंजीबद्ध की जिसे दिनांक 20–9–2018 को निरस्त किया, यदि कोई वसीयत दिनांक 31–3–2018 देवारामजी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे निष्पादित होती तो उसका जिक्र वसीयतनामा

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दिनांक 18–6–2018 मे अवश्य होता जबकि ऐसा कोई उल्लेख नही किया हुआ है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि स्व0 देवारामजी का अंतिम वसीयतनामा दिनांक 22–11–2018 को निष्पादित किया जो नोटेरी से सत्यापित है तथा आज दिन तक उक्त वसीयतनामे को निरस्त करवाने बाबत कोई कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नही की गई है अथार्त देवारामजी की अंतिम वसीयत दिनांक 22–11–2018 आज भी प्रभावी है इसलिए अंतिम वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करवाने का अपीलांट अधिकारी होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने 31–3–2018 की वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने का जो आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कोविड काल के दौरान उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 7–5–2021 को किया है जबकि राजस्थान सरकार की कोविड गाईड लाईन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को उक्त अवधि मे निर्णय पारित नही किया जाना चाहिये था । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट की ओर से एफ.एस.एल.रिपोर्ट दिनांक 25–2–2021 को रेकर्ड पर लेने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी प्रकरण का अंतिम निस्तारण से पूर्व उस प्रकरण मे प्रस्तुत सभी प्रार्थना पत्रो का निस्तारण पहले करना चाहिये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय इस आधार पर भी निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा एफ.एस.एल. रिपोर्ट दिनांक 2–1–2021 अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की थी उक्त रिपोर्ट अनुसार पूर्व मे पंजीबद्ध वसीयतनामे जो देवारामजी द्वारा निष्पादित किये गये के हस्ताक्षर अंतिम वसीयतनामा दिनांक 22–11–2018 के हस्ताक्षर से मिलान होता है अथार्त उक्त सभी दस्तावेज पर देवारमजी के ही हस्ताक्षर है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजो पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने वर्तमान प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–5–2021 को निरस्त करने का निवेदन किया तथा मृत खातेदार देवारामजी द्वारा निष्पादित अंतिम वसीयत दिनांक 22–11–2018 अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि स्व0 खातेदार देवारामजी ने अपनी खातेदारी की कृषि भूमि के संबंध मे एक रजिस्टर्ड बसीयतनामा दिनांक 31–3–2018 को रेस्पो0 संख्या 1 गिरधारीलाल के पक्ष मे निष्पादित की थी तथा खातेदार गिरधारीराम का देहांत दिनांक 16–10–19 को हो गया । रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष उसके पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध वसीयतनामा

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

दिनांक 31–3–2018 के आधार पर नामांतरकरण की कार्यवाही करने का निवेदन किया जाने पर तहसीलदार सुमेरपुर ने खातेदार देवारामजी की खातेदारी भूमि के संबंध मे एक आम सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र मे करवाये जाने पर वर्तमान अपीलांट किशोर कुमार उर्फ हरीश कुमार जाति लोहार की ओर से तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष दिनांक 27–12–2019 को आपत्ति प्रस्तुत करते हुए अपीलांट ने यह अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा वर्णित खसरा नंबरान की भूमि मे से कुछ हिस्सा स्व0 देवारामजी द्वारा अपनी स्वअर्जित उपरोक्त भूमि मे से उत्तर दिशा का आधा भाग अथार्त 14.5 बीघा मुझ प्रार्थी के पुत्र तनिष्क उम्र 14 वर्ष (देवाराम का पडपोत्र) तथा दक्षिण दिशा की तरफ का आधा भाग अथार्तत 14.5 बीघा मेरे भाई योगेश के पुत्र विरेन उम्र 10 वर्ष (देवाराम का पडपोत्र) को दिनांक 18–6–2018 को वसीयत की गई थी तथा उक्त वसीयतनामा दिनांक 18–6–2018 को उप पंजीयन कार्यालय सुमेरपुर पर पंजीबद्ध किया गया तथा उपरोक्त भूमि बाबत ही देवारामजी द्वारा एक अन्य अंतिम वसीयतनामा दिनांक 22–11–2018 को निष्पादित कर नोटेरी सुमेरपुर से तस्दीक करवाया हुआ है । उपरोक्त वसीयतनामा बाबत पूर्व मे आपत्तिकर्ता को जानकारी नही थी । दिनांक 25–12–2019 को आपत्तिकर्ता द्वारा देवारामजी के सामान की साफ सफाइ की जा रही थी तब उपरोक्त वसीयतनामा दिनांक 22–11–2018 मिली । अतः इससे पूर्व की वसीयत के आधार पर प्रार्थी अपने नाम से नामांतरकरण करवाने का अधिकारी नही है तथा अंतिम वसीयत दिनाक 22–11–2018 के आधार पर तनिष्क एवं विरेन के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि वसीयत को 2 गवाहो से साबित करवाना आवश्यक होता है इसलिए रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे निष्पादित वसीयत के दोनो गवाहान क्रमशः भंवरलाल पुत्र सिरेमल कौम सोनी निवासी सुमेरपुर तथा दूसरा गवाह आदूराम पिता मगाजी कौम माली निवासी संतोसी नगर शिवगंज के बयान अधीनस्थ न्यायालय मे कलमबद्ध किये गये जिन्होने मृतक देवारामजी द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 गिरधारीलाल के पक्ष मे उनकी उपस्थिति मे राजीखुशी वसीयत लिखना स्वीकार किया है जबकि अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित अन रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 22–11–2018 को साबित नही करवा पाये । उक्त वसीयत के प्रथम गवाह मुकेश ने अपने बयानो मे वसीयत उसके सामने निष्पादित नही होना बताया तथा दूसरे गवाह महेन्द्र सिह के कोई बयान नही करवाये गये इसप्रकार अपीलांट की वसीयत को साबित नही करवा पाये है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने मेरे पक्ष मे निष्पादित वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–5–2021 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपीलांट एवं रेस्पो0 के पक्ष मे निष्पादित वसीयत के दस्तावेजात एवं वसीयत के गवाहो आदि के बयान कलमबद्ध करके रेस्पो0 संख्या 1 गिरधारीलाल के पक्ष मे निष्पादित पंजीकृत वसीयत दिनांक 31–3–2018 को सही मानते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया । ग्राम सुमेरपुर तहसील पाली स्थित खसरा नंबरान 217/674, 217/674/713, 217/674/714, 217/674/715, 151, 152 कुल रकबा 5.4 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 148, 149, 150, 152 कुल रकबा 4.74 हेक्टेयर कृषि भूमि के खातेदार देवाराम पुत्र वरदाजी लोहार निवासी उंदरी तहसील सुमेरपुर थे । उक्त कृषि भूमि के संबंध मे प्रार्थी के पिता देवाराम ने दिनांक 31–3–2018 को एक वसीयतनामा रेस्पो0 संख्या 1 गिरधारीलाल पुत्र देवाराम निवासी उन्दरी के पक्ष मे निष्पादित किया, जो वसीयतनामा उप पंजीयक कार्यालय सुमेरपुर से पंजीबद्ध करवाया गया । उक्त पंजीबद्ध वसीयतनामे के आधार पर वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1. ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त वर्णित खसरान की कृषि भूमि का नामांतरकरण दायर करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा दिनांक 5–12–2019 को उनके समक्ष प्रस्तुत वसीयत के संबंध मे किसी शख्स को कोई उज्र एतराज हो तो न्यायालय मे पेश करने हेतु एक विज्ञिप्ति जारी करने पर अपीलांट की ओर से तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष दिनांक 27–12–2019 को आपत्ति प्रस्तुत करते हुए अपीलांट ने यह अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा वर्णित खसरा नंबरान की भूमि मे से कुछ हिस्सा स्व0 देवारामजी द्वारा उत्तर दिशा का आधा भाग अथार्त 14.5 बीघा मुझ प्रार्थी के पुत्र तनिष्क उम्र 14 वर्ष (देवाराम का पडपोत्र) तथा दक्षिण दिशा की तरफ का आधा भाग अर्थात 14.5 बीघा मेरे भाई योगेश के पुत्र विरेन उम्र 10 वर्ष (देवाराम का पडपोत्र) को दिनांक 18–6–2018 को वसीयत की गई थी तथा उक्त वसीयतनामा दिनांक 18–6–2018 को उप पंजीयन कार्यालय सुमेरपुर मे पंजीबद्ध किया गया तथा उपरोक्त भूमि बाबत ही देवारामजी द्वारा एक अन्य अंतिम वसीयतनामा दिनांक 22–11–2018 को निष्पादित कर नोटेरी सुमेरपुर से तस्दीक करवाया हुआ है । उपरोक्त वसीयतनामा बाबत पूर्व मे आपत्तिकर्ता को जानकारी नही थी । दिनांक 25–12–2019 को आपत्तिकर्ता द्वारा देवारामजी के सामान की साफ सफाइ की जा रही थी तब उपरोक्त वसीयतनामा दिनांक 22–11–2018 मिली । अतः इससे पूर्व की वसीयत के आधार पर प्रार्थी अपने नाम से नामांतरकरण करवाने का अधिकारी नही है तथा अंतिम वसीयत दिनाक 22–11–2018 के आधार पर तनिष्क एवं विरेन के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का निवेदन किया ।

उक्त तथ्यो से यह प्रकट होता है कि मृतक खातेदार देवाराम ने अपने खातेदारी की भूमि के संबंध मे अलग अलग समय मे अलग अलग व्यक्तियो के पक्ष मे वसीयत का निष्पादन किया था जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश मे सुनवाई पश्चात विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है ।

वर्तमान मामले मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार ने अपने खातेदारी की भूमि के संबंध मे अलग अलग व्यक्तियो के पक्ष मे

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वसीयत का निष्पादन किया जाना पाया जाता है, कालांतर मे की गई वसीयत का प्रभाव अंत मे की गई वसीयत पर क्या होगा तथा कौनसी वसीयत स्वत्व निर्धारण हेतु सही मानी जावेगी । इस संबंध मे अगर अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नही है तो सक्षम सिविल न्यायालय से वसीयत की वैद्यता का निर्धारण करवाने के लिए स्वतंत्र है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–5–2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 14–07–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर